अनुदान संख्या 94 – जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 94–MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	**Revenue:**			
प्रभारित-	*Charged–*	*970,43,00*	*949,81,83*	*–20,61,17*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*20,62,00*
स्वीकृत-	Voted–	138,32,00	88,16,45	–50,15,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			48,98,77
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted -	50,26,00	24,75,00	–25,51,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			25,51,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, अभ्यर्पित राशि *(2062.00 लाख रु.) 2061.17 लाख रु.* की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered *(Rs.2062.00 lakhs)* exceeded the overall savings of *Rs.2061.17 lakhs*.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*97043.00*	*94981.00*	*94981.83*	*+0.83*
पु.	*R.*	*–2062.00*			

(I) *100.00 लाख रु.* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.100.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

(II) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजाति विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान *(प्रभारित)''* के अंतर्गत *1000.00 लाख रु.*की बचत (*1800.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(III) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''जनजातीय उप योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना *(प्रभारित)'' - 800.00 लाख रु.* की बचत (*1350.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(खा) ''अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम *(प्रभारित)'' - 1100.00 लाख रु.* की बचत (*2100.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(गा) ''अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य *(प्रभारित)'' - 150.00 लाख रु.* की बचत (*350.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूरे प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुईं।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत *111.14 लाख रु.* की बचतें हुईं जो प्रत्येक *50.00 लाख रु.* से अधिक और स्वीकृत *विनियोग* का 54 प्रतिशत और 61 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - पीएमएस की स्कीम, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन *(प्रभारित)''* के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - *1199.97 लाख रु.* का अधिक व्यय (*6435.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकता को पूरा किए जाने के लिए निधि की वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(II) Under "Grants for Central Plan Schemes-Welfare of Scheduled Tribes - Education-Grants-in-aid to State Tribal Development Cooperative Corporations for Minor Forest Produce (*Charged*)" – saving of *Rs.1000.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.1800.00 lakhs*);

(III) Under "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes-Education"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Establishment of Ashram Schools in Tribal Sub-Plan Area (*Charged*)" – saving *of Rs.800.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.1350.00 lakhs*);

(B) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys (*Charged*)" – saving of *Rs.1100.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.2100.00 lakhs)*; and

(C) "Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and others (*Charged*)"- saving of *Rs.150.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.350.00 lakhs*).

Savings under the above four heads were due to less receipt of complete proposals.

(IV) Under two heads savings of *Rs.111.14 lakhs* occurred, each exceeding *Rs.50.00 lakhs* and constituting 54 and 61 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. The above savings were partly offset by excess Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes - Education – Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students (*Charged)"* – excess of *Rs.1199.97 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.6435.00 lakhs*) was due to augmentation of fund for meeting the requirement of various State Governments.

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	616.00			
			428.69	432.56	+3.87
पु.	R.	–187.31			
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	10384.00			
			6000.54	5880.72	–119.82
पु.	R.	–4383.46			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2825.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–2825.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
पु.	R.	2500.00	2500.00	2500.00	. .

(I) 6290.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6075.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.6290.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.6075.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य व्यय - ग्राम अनाज बैंक" - 3250.00 लाख रु.

(A) Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Tribes – Other Expenditure – Village Grain Banks" – Rs.3250.00 lakhs – due to transfer

इस स्कीम का अंतरण खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' - 2825.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - जनजातीय कार्य मंत्रालय'' के अंतर्गत 183.44 लाख रु. की बचत (616.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पद न भरे जाने और सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''अनुसूचित जनजातियों का कल्याण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग'' - 106.42 लाख रु. की बचत (238.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयोग का समापन वित्तीय वर्ष के मध्य में किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''जनजातिय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण'' - 343.46 लाख रु.की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''कोचिंग (अनुशिक्षण) और संबद्ध स्कीम और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान'' - 119.92 लाख रु. की बचत (3050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) ''अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य'' - 191.61 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूरे प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुईं।

of this scheme to Department of Food and Public Distribution.

(B) Major Head “2552”- “Other Expenditure-Lump sum provision for schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim”- Rs.2825.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to concerned functional heads for utilisation on the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2251” – “Secretariat-Ministry of Tribal Affairs” – saving of Rs.183.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.616.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant post and austerity measures.

(III) Under Major Head “2225”- “Welfare of Scheduled Tribes” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission”- saving of Rs.106.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.238.00 lakhs) was due to winding up of the Commission in the middle of the financial year.

(B) “Other Expenditure” -

(a) “Vocational Training in Tribal Areas” – saving of Rs.343.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs);

(b) “Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for exemplary service” – saving of Rs.119.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3050.00 lakhs); and

(c) “Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and Others” – saving of Rs.191.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less receipt of complete proposals.

(IV) उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 138.71 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत और 66 प्रतिशत थी।

(IV) Under two heads savings of Rs.138.71 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 19 percent and 66 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - पीएमएस की स्कीम, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन (स्वीकृत)'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 2500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से संबंधित कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes – Education-Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students (Voted)”- excess of Rs.2500.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to concerned functional head for utilisation on the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

5. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4225'' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4225” Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	4651.00	2475.00	2475.00	. .
पु.	R.	–2176.00			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4552” Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	375.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–375.00			

(I) 1476.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4225'' -

(क) ''अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - आर्थिक विकास- निवेश/ट्राइफेड को मूल्य सहायता'' - 401.00 लाख रु. आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - आदिवासी भवन का निर्माण'' - 700.00 लाख रु. आदिवासी भवन के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान'' - 375.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''4225'' - ''सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता'' - 1075.00 लाख रु. की बचत (3550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संवितरण की वजह से इक्विटी जारी किए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.1476.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads under the following major heads:-

(A) Major Head “4225” -

(a) “Welfare of Scheduled Tribes – Economic Development – Investment/Price Support to TRIFED”- Rs.401.00 lakhs – due to non-approval of Cabinet Committee on Economic Affairs.

(b) “General – Investment in Public Sector and Other Undertakings - Construction of Adivasi Bhawan” – Rs.700.00 lakhs – due to non-availability of land for Adivasi Bhawan.

(B) Major Head “4552” - “Other Expenditure– Lumpsum provision for scheme for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim” - Rs.375.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to concerned functional heads for utilisation on the scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “4225” – “General – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Support to National/State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation” – saving of Rs.1075.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3550.00 lakhs) was due to restriction for release of equity owing to less disbursement.